E-Mail

।। कार्यालय – उप प्रमुख, वि0से0सू0&म0 केन्द्र, श्रीनगर गढ़वाल –246174 ।।

पत्रांकः 156 / 0302 / स्था0 / वा0स्था0 / अधि0संवर्ग / 2026 दिनांकः 30 मई, 2026

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी(नैनीताल)।

विषयः अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल) के पत्रांक 1074–82 / डीटीईयू(सेवा0) / ई–1 / स्था0अधि0–2017 / स्थानान्तरण / 2026 दिनांक 18 मई, 2026 के द्वारा सुगम–दुर्गम के कार्यस्थल उपलब्ध / सम्भावित रिक्त पदों एवं पात्र कार्मिकों की सूची प्रकाशित की गयी। जिसमें प्रार्थी का नाम सुगम से सुगम क्षेत्र मे स्थानान्तरण पात्रता सूची में अंकित है। उक्त पात्रता सूची के आधार पर प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करेंगे:–

1. प्रार्थी के सेवा काल में मात्र 24 माह की सेवा ही अवशेष रह गयी। प्रार्थी के सेवानिवृत्त में अल्प समय ही अवशेष है।
2. प्रार्थी की आयु 58 वर्ष की हो है। प्रार्थी स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के बिन्दु संख्या 3(ज) के अधीन वरिष्ठ कार्मिक की श्रेणी में आता है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी को निम्न बिन्दुओं के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण श्रेणी मे छुट प्रदान करने की कृपा करेंगे।

भवदीय,

30.05.2026

(धीरेन्द्र असवाल)
पुस्तकालयाध्यक्ष
कार्यालयः– वि0से0सू0&म0के0
श्रीनगर गढ़वाल।